निर्देश सं. 73

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्तीके क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 1 1000 1

दिनांक:02.06.2023

फा . सं. ए- 1 10018/01/ 2021 -सी एक्यूएम/ 8 27

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 202। की धारा 12 के तहत निर्देश- एनसीआर में डीजी सेट के उपयोग के लिए यन्त्रण/विनियमन।

जबकि, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में , वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है | (इसके बाद आयोग के तौर पर संदर्भित)|

2. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग का अधिकार है कि एन सी आर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षित करने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निर्देश आदि जारी करे जैसा कि वे आवश्यक या व्यावहारिक समझे |

3. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (xi) आयोग को शक्ति देती है कि वे किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण या ऐसे व्यक्ति या अधिकारी या प्राधिकरण को लिखित में आदेश जारी करे और वे ऐसे आदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे|

4. जबकि, आयोग ने वायु प्रदूषण से सम्बंधित मामले को लगातार हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और एनसीटी- दिल्ली सरकार एवं सम्बंधित केन्द्रीय व राज्य सरकारों /जीएनसीटीडी के विभिन्न संस्थानों के साथ उठाया और एनसीआर में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए समय-समय पर विभिन्न निर्देश एडवाइजरी और आदेश जारी किए हैं|

5. जबकि, आयोग ने प्रमुखता से दिखाया है कि अन्य कारणों के साथ-साथ, डीजी सेटों का अनियंत्रित प्रयोग क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को खराब करने में एक बड़ा योगदान देने वाला कारक है|

6. जबकि, एनसीआर में आमतौर पर सर्दियों के मौसम के दौरान प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के मद्देनजर, आयोग ने अपने दिनांक 08. 02.2022 के निर्देश संख्या 54-57 के तहत उन आपातकालीन उद्देश्यों/सेवाओं को स्पष्ट किया जिसमें ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के अधीन लगाये गए प्रतिबंधों की अवधि के दौरान डी जी सेट का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके सीमित और विनियमित उपयोग की भी अनुमति दी गई|

7. जबकि, आयोग ने अपने दिनांक 14.09.2022 के निर्देश संख्या 68 के तहत 800 किलोवाट सकल शक्ति श्रेणी से अधिक डीजी सेट के विनियमित उपयोग की उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन, भी अनुमति दी;

8. जबकि, जीआरएपी के तहत प्रतिबंध के अलावा अन्य अवधियों के दौरान भी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डीजल जनरेटर सेट चलने के कारण होने वाला भारी वायु प्रदूषण चिंता का विषय है और इस दृष्टि से जीआरएपी के तहत लगाए गए प्रतिबंध, या उस अवधि के दौरान जब कोई प्रतिबन्ध लागू नही हो उस समय डी जी सेटों के प्रयोग को विनियमित करने के लिए आयोग ने दिनांक 08.02.2022 के निर्देश सं 54 से 57, दिनांक 14.09.2022के निर्देश सं 68 और आदेश दिनांक 16.12.O22 और बाद में 23.O1.2023 का शुद्धिपत्र के क्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2O2। की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश सं 71 के तहत निर्देश दिया कि 15.05.2023, से , जीआरएपी के तहत लगाये गए प्रतिबंध,/ सीमाओं की अवधि के अलावा भी 800 किलोवाट तक की क्षमता के डीजी सेट का कोई भी उपयोग पूरे एनसीआर में औद्योगिक, वाणिज्यिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र आदि, केवल दोहरी ईंधन प्रणाली (70% गैस +3Oo/o डीजल) में उनके रूपांतरण के अधीन अनुज्ञेय हैं, उन क्षेत्रों में जहां गैस का बुनियादी ढांचा और आपूर्ति उपलब्ध है:

9. जबकि, औद्योगिक संघों, वाणिज्यिक संस्थाएँ, व्यावसायिक संगठन और व्यक्तियों से आयोग में बड़ी संख्या में अभिवेदन प्राप्त हुए थे और औद्योगिक संघों और वाणिज्यिक चेम्बरों से बातचीत के दौरान बार बार मुद्दे को उठाया गया जिसमें विभिन्न तकनीकी और वाणिज्यिक बाधाओं का हवाला देते हुए मुद्दों को बार-बार उठाया गया है एमएसएमई संघों के साथ उपरोक्त उल्लिखित निर्देशों को लागू करने की दिशा में विशेष रूप से एनसीआर भर में भारी वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए डीजी सेट से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन पर भी प्रकाश डाला गया और निम्नलिखित कठिनाइयाँ और बाधाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया :

(क) 800 किलोवाट क्षमता तक के सभी श्रेणियो के डी जी सेटों के लिए अभी भी पर्याप्त प्रमाणित डीजी सेट के विक्रेता नहीं हैं | एकमात्र रेंज 125 किलोवाट - 50O किलोवाट तक की रेंज प्रमाणित डिजाइन/ ईसीडी के लिए ही विक्रेता उपलब्ध हैं | 125 किलोवाट से कम क्षमता सीमा के आरईसीडी के लिए ही प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है | इसी तरह, 500 किलोवाट से अधिक क्षमता की आर ई सी डी के विकास का कार्य अभी भी चल रहा है |

(ख) डीजी सेट में रेट्रो-फिटमेंट के लिए दोहरी ईंधन किट के मामले पर बाजार में किट/विक्रेताओं की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है | बाधा मुख्य रूप से गैस आपूर्ति की उपलब्धता पर है ऐसी औद्योगिक इकाइयों में डीजी सेट पर है कोर प्रक्रियाएं पीएनजी पर नहीं हैं लेकिन अन्य अनुमोदित ईंधन पर हैं | जाहिर तौर पर सीजीडी एजेंसियां ऐसी एजेंसियों से पीएनजी उपलब्ध कराने के अनुरोध को संसाधित करने में बहुत अधिक समय लग रहा है और इसके लिए शुल्क भी बहुत अधिक बताया गया है। अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां गैस का बुनियादी ढांचा ही नहीं है, हालाँकि, , यदि कोई समर्पित पीएनजी आपूर्ति नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, ऐसे दोहरे ईंधन रूपांतरण के लिए गैस की आवश्यकता हो सकती है ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल गैस कैस्केड/सिलेंडर के माध्यम से गैस की व्यवस्था की जाए।

(ग) कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से एमएसएमई पर भारी वित्तीय बोझ का हवाला दिया गया दोहरी ईंधन किटों के निर्देशित रेट्रो-फिटमेंट और ईसीडी के कारण भी. सार अनुमानों के आधार पर यह बताया गया कि लागत उपरोक्त के अनुसार दोनों प्रणालियों का रेट्रो-फिटमेंट लगभग बराबर होगा विशेष रूप से कम

क्षमता वाले डीजी सेटों के लिए नए डीजी सेट की लागत जिनका उपयोग एनसीआर में मुख्य रूप से औद्योगिक और अन्य कार्यों के लिए एमएसएमई द्वारा किया जाता है|

(घ) दोहरे ईंधन किट के रेट्रो-फिटमेंट या आरईसीडी के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने की क्षमताओं के डीजी सेटों में तुलनीय प्रतीत होता है |

(ङ) एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत आवासीय इकाइयाँ एवं दुकानों सहित आदि पर बड़ी संख्या में पोर्टेबल डीजी सेट (19 किलोवाट क्षमता से कम) उपलब्ध होने की सूचना है | इसमें तकनीकी बाधाएं और ऐसे कम क्षमता वाले डीजी सेट के लिए दोहरी ईंधन किट / ईसीडी के साथ ऐसे कम क्षमता वाले डीजी सेट के लिए निषेधात्मक लागत से सम्बंधित मुद्दे हैं |

(च) सीपीसीबी की सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नए डीजी सेट के लिए उत्सर्जन मानक की अधिसूचना नवंबर, 2022 में जारी की है जो 01.07.2023 के बाद बनाने वाले नए डीजी सेट के लिए लागू होंगे.| डिजाइन पैरामीटर उत्सर्जन मानकों के संशोधन से बहुत अधिक कठोर और यहां तक कि सख्त हैं, दोहरे ईंधन मोड और आरईसीडी के रेट्रो फिटमेंट द्वारा यह परिकल्पना की गई है |

10. जबकि, उपरोक्त उल्लिखित तकनीकी, वाणिज्यिक तथा व्याहारिक पहलुओं और उत्सर्जन नियंत्रण में आने वाली बाधाओं के मद्देनजर डीजी सेट सम्बंधित निर्देशों के कार्यान्वयन के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करते हुए विभिन्न औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत और आवासीय इकाइयां/परिसरों सहित डीजी सेटों के बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदुषण को कम करने के लिए और बेहतर अनुपालन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डीजी सेट के ;विनियमित उपयोग पर जारी किये गए मौजूदा निर्देशों पर दोबारा विचार/समीक्षा करने का पर्याप्त औचित्य प्रतीत होता है |

11. अब, इसलिए, डीजी सेट के विनियमन पर दिए गए सभी मौजूदा निर्देशों /आदेशों/ दिशानिर्देश के संशोधन में, आयोग एनसीआर में औद्योगिक, वाणिज्यिक आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठान आदि सहित सभी क्षेत्रों में डीजी सेट के विनियमित उपयोग के लिए निम्नलिखित संशोधित अनुसूची को अपनाने का निर्देश देता है:

क्र. सं.	डी जी सेट की क्षमता सीमा	उत्सर्जन नियंत्रण हेतु अपनाया गया सिस्टम	उपयोग के लिए विनियम
1.	एल पी जी /प्राकृतिक गैस /प्रोपेन /ब्युटेन पर चलने वाले सभी क्षमताओं के विजली उत्पादन सेट :	कोई नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं। (यहाँ तक कि ग्रेप की अवधि क दौरान भी)
2.	पोर्टेबल डीजी सेट (19 किलोवाट से नीचे)	कोई नहीं	ग्रेप के अलावा कोई प्रतिबन्ध नहीं | ग्रेप की प्रतिबन्ध अवधि के दौरान कोई अनुमति नहीं
3.	19 किलोवाट से 125 से कम किलोवाट	दोहरी ईंधन मोड (प्राकृतिक गैस & डीजल)	ग्रेप के आलावा अन्य अवधि के दौरान कोई प्रतिबन्ध नहीं| ग्रेप . के तहत प्रतिबंधों के दौरान एक दिन में अधिकतम 02 घंटे चलने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि डीजी सेट चलने के लिए एक लाग अधिमानतः डिजिटल मोड में रखा जाए|
4.	125 किलोवाट से लेकर 800 किलोवाट से कम	दोहरी ईंधन मोड और रेट्रो-फिटेड ईसीडी प्रमाणित विक्रेता/एजेंसियाँ के माध्यम से|	कोई प्रतिबंध नहीं। (यहाँ तक कि ग्रैप अवधि के दौरान भी)
5.	800 किलोवाट और ऊपर	दोहरी ईंधन मोड या कोई अन्य उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण/ प्रणाली, बशर्ते पाद टिप्पणी में लिखित स्टैक उत्सर्जन का सख्ती से अनुपालन	ग्रेप के आलावा अन्य अवधि के दौरान कोई प्रतिबन्ध नहीं| ग्रेप . के तहत प्रतिबंधों के दौरान एक दिन में अधिकतम 02 घंटे चलने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि डीजी सेट चलने के लिए एक लाग अधिमानतः डिजिटल मोड में रखा जाए|
6.	नई बिजली पैदा करने वाले सेट 800 किलोवाट तक की खरीद की सभी क्षमताओं के जिनकी खरीद पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक	कोई नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं। (यहाँ तक कि ग्रेप की अवधि के दौरान भी)

	03.11.2022 की अधिसूचना सं क्यू-15017/05/2012-के मानक के अनुरूप हो सीपीडब्ल्यू और जीएसआर 804(ई) के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया।		

टिप्पणी :- 800 किलोंवाट और उससे उपर की क्षमता के डी जी सेटों से उत्सर्जन के लिए मानक

क्र०सं	**पैरामीटर**	**उत्सर्जन मानक**
(i)	PM (15% o_2 पर)	50 mg/nm^3
(ii)	NOX (15% O_2 पर)	650 mg/nm^3
(iii)	C O (15% O_2 पर)	100 mg/nm^3
(iv)	स्टेक हाइट	निम्नलिखित का अधिकतम (मीटर में) (क)न्यूनतम 6 मीटर, बिल्डिंग के ऊपर न्यूनतम 6 मी० जहां डी जी सेट लगाया गया है (ख)30 मीटर टिप्पणी: - उदाहरण के लिए ,जहाँ ऐसे डी जी सेट लगाये गये हों, बिल्डिंग की ऊचाई 20 मीटर हो तो डी जी सेट की जमीन से अधिकतम स्टेक हाइट 30 मीटर होनी चाहिए| और यदि बिल्डिंग की उचाई 27 मीटर है तो डी जी सेट की स्टेक हाइट जमीनी स्तर से 33 मीटर होनी चाहिए|

12. निर्देश दिया जाता है कि डीजी सेट के उपयोग के लिए विनियमन के लिए उपर्युक्त अनुसूची पूरे एनसीआर में दिनांक 01.10.2023 से सख्ती से लागू होंगे| और रेट्रो-फिटमेंट दोहरी ईंधन किट या ईसीडी, जहां भी हो उचित, 3O. O9.2O23 तक पूरा करने का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा न करने पर डीजल जेनसेट के उपयोग की अनुमति किसी भी परिस्थिति में, पूरे एनसीआर में कहीं भी नहीं दी जाएगी |

13. एनसीआर राज्य पीसीबी/डीपीसीसी उपरोक्त निर्देशों का उपयुक्त सहमति तंत्र और आवधिक निगरानी के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे |

हस्ता ०

(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव
फोन न. 011-23701197
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरका

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, डीपीसीसी
2. अध्यक्ष, एचएसपीसीबी
3. अध्यक्ष, आरएसपीसीबी
4. अध्यक्ष, यूपीपीसीबी
5. अध्यक्ष सीपीसीबी.

निम्नलिखित को भी प्रतिलिपि

1. अध्यक्ष और सभी सदस्य, सीएक्यूएम

(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव